

प्रेषक,

प्रभाकर चन्द्र मिश्र,

अनु सचिव,

उपशासन ।

सेवा में,

चकबन्दी आयुक्त,

उपशासन, लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-8

लखनऊ: दिनांक 17 अप्रैल, 2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में प्रावधानित धनराशि (मतदेय/भारित) के समक्ष वित्तीय स्वीकृतियां जारी किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-527/ए0-1/2018-19(बजट आवंटन), दिनांक 09.04.18 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-52 के लेखाशीर्षक-2029-भू0-राजस्व-आयोजनेतर-800-अन्य व्यय-03-खेतों की चकबन्दी-01-मुख्यालय अधिष्ठान एवं 02-जिला अधिष्ठान के व्यय के लिये संलग्नक में अंकित मतदेय मद में कुल योग रू0 54083.51 लाख तथा भारत मद में रू0 2.00 लाख की धनराशि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में अंकित दिशानिर्देशों के अधीन निम्नानुसार व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की मा0 राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (1) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उन्हीं कार्यों/मदों पर किया जायेगा, जिसके लिये धनराशि स्वीकृत की गयी है। किसी अन्य प्रयोजन/कार्यों/ मदों पर कदापि नहीं की जायेगी।
- (2) व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/वित्तीय नियमों तथा उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक-30 मार्च, 2018 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- (3) व्यय किये जाने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल/वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत शासकीय अथवा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

2- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप, दिनांक 30 मार्च, 2018 द्वारा निर्गत निर्देशों के प्रस्तर-2 के उप प्रस्तर-(7) के अनुसार मद संख्या-14 के बजट प्रावधान से

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संबंधित वित्तीय स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जाने निर्देश दिये गये हैं। अतएव उक्त मद के अंतर्गत प्राविधानित धनराशि रू0-70.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् आपके निवर्तन पर रखी जायेगी।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 के द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

(प्रभाकर चन्द्र मिश्र)

अनु सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (प्रथम/द्वितीय), 30प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (प्रथम/द्वितीय), 30प्र0, इलाहाबाद।
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, चकबन्दी आयुक्त कार्यालय, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7. राजस्व अनुभाग-6
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रभाकर चन्द्र मिश्र)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या-01/2018/694/1-8-2018-रा0-8, दिनांक 17 अप्रैल, 2018 का संलग्नक।

अनुदान संख्या-52

लेखाशीर्षक-2029-भू-राजस्व-800-अन्य व्यय-03-खेतों की चकबंदी

01-मुख्यालय अधिष्ठान

(धनराशि लाख रुपये में)

मद सं०	मानक मद	वर्ष 2018-19 में प्राविधानित धनराशि	स्वीकृति हेतु प्रस्तावित धनराशि
1	2	3	4
01	वेतन	1227.84	1227.84
03	मंहगाई भत्ता	122.78	122.78
04	यात्रा व्यय	7.50	7.50
05	स्थानान्तरण यात्रा व्यय	3.00	3.00
06	अन्य भत्ते	50.00	50.00
08	कार्यालय व्यय	8.00	8.00
11	लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	5.00	5.00
12	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	4.25	4.25
13	टेलीफोन पर व्यय	2.00	2.00
14	कार्यालय के प्रयोग के लिए स्टाफ कारों और अन्य मोटरगाड़ियों का क्रय	70.00	00.00
15	गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	20.00	20.00
16	व्यावसायिक और विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	4.00	4.00
19	विज्ञापन, बिक्री एवं विख्यापन व्यय	1.00	1.00
42	अन्य व्यय	0.20	0.20
44	प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1.50	1.50

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

45	अवकाश यात्रा व्यय	2.00	2.00
46	कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	5.00	5.00
47	कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	3.00	3.00
49	चिकित्सा व्यय	12.00	12.00
51	वर्दी क्रय	0.50	0.50
52	पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	74.40	74.40
	योग (क) मतदेय	1623.97	1553.97

02-जिला अधिष्ठान

(धनराशि लाख रूपये में)

मद सं०	मानक मद	वर्ष 2018-19 में प्राविधानित धनराशि	स्वीकृति हेतु प्रस्तावित धनराशि
1	2	3	4
01	वेतन	43945.05	43945.05
03	मंहगाई भत्ता	4394.51	4394.51
04	यात्रा व्यय	30.00	30.00
05	स्थानान्तरण यात्रा व्यय	18.00	18.00
06	अन्य भत्ते	1224.68	1224.68
08	कार्यालय व्यय	6.00	6.00
09	विद्युत देय	12.00	12.00
10	जलकर/जलप्रभार	1.00	1.00
11	लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	50.00	50.00
12	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	10.00	10.00
13	टेलीफोन पर व्यय	2.00	2.00
15	गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	15.00	15.00
16	व्यावसायिक और विशेष सेवाओं के लिए	10.00	10.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

	भुगतान		
17	किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	40.00	40.00
18	प्रकाशन	0.50	0.50
19	विज्ञापन, बिक्री एवं विख्यापन व्यय	0.50	0.50
42	अन्य व्यय मतदेय	1.00	1.00
	भारित	2.00	2.00
44	प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	3.00	3.00
45	अवकाश यात्रा व्यय	3.00	3.00
46	कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	4.00	4.00
47	कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	4.50	4.50
49	चिकित्सा व्यय	90.00	90.00
51	वर्दी क्रय	2.00	2.00
52	पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	2662.80	2662.80
योग (ख) मतदेय		52529.54	52529.54
भारित -42-अन्य व्यय		2.00	2.00
	कुल योग (क + ख) मतदेय	54083.51	54083.51
	भारित	2.00	2.00

(प्रभाकर चन्द्र मिश्र)

अनु सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।